



हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION


क्रमांक:प.2(ज)(24)एचजेयू/शै./शि/2020/3543

दिनांक : 08-09-2021

संशोधित आदेश


विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 3766 दिनांक 07.08.2020 को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश-नीति, 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण शुल्क आदि छूट के नियम के बिन्दु संख्या 01 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की छात्राओं से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।  
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(डॉ.गुंजन सोनी) 8/9/2021  
RAS  
कुलसचिव

क्रमांक:प.2(ज)(24)एचजेयू/शै./शि/2020/3544-53 दिनांक : 08-09-2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
3. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक/अकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर
5. उपकुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
6. निदेशक, शैक्षणिक परिसर/संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय, एचजेयू, जयपुर
7. संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय, एचजेयू, जयपुर
8. सहायक कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
9. लेखा शाखा/संस्थापन शाखा, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली

  
उप कुलसचिव

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan  
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul  
जयपुर 302 017 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India  
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in